


दिनांक... 5-1-22 को पेश हाऊ

5-1-22 पत्रावली पेश हुई वकील पार्थी अनुपस्थित।  
बार-बार आवाज दिलवाई गई। बार-बार  
आवाज दिलवाने के बावजूद पार्थी व वकील  
पार्थी में से कोई उपस्थित नहीं। अतः अदम  
हाजरी। अदम पैरवी में पार्थी का पार्थना-पत्र  
स्वीकार किया जाता है।

पत्रावली फैंसल शुमाक होकर नम्बर  
से कम हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
रूपनगढ़ (असम)

